

# नेपाल राजपत्र

## भाग ४

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

काठमाडौं, आषाढ १ गते २०२७ साल

### श्री ५ को सरकार कानून तथा न्याय मन्त्रालयको सूचना

श्री ५ को सरकारले मिति २०२७।२।६ को निर्णयानुसार न्याय सेवाको राज-पत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा देहायका व्यक्तिहरूलाई १ (एक) वर्षसम्म परीक्षणकालमा रहने गरी देहायबमोजिम निम्नलिखित र पद स्थापना गरेको छ :-

| सि. नं. | नाम र थर                  | पद               | पद स्थापना भएको कार्यालय  |
|---------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| १.      | श्री गजेन्द्रमणि प्रधान   | शाखा अधिकृत      | कानून तथा न्याय मन्त्रालय |
| २.      | श्री गोविन्ददास श्रेष्ठ   | शाखा अधिकृत      | कानून तथा न्याय मन्त्रालय |
| ३.      | श्रीमति शारदा श्रेष्ठ     | शाखा अधिकृत      | कानून तथा न्याय मन्त्रालय |
| ४.      | श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय | सरकारी अभियोक्ता | विशेष प्रहरी विभाग        |
| ५.      | श्री जितबहादुर कार्की     | शाखा अधिकृत      | सर्वोच्च अदालत            |
| ६.      | श्री रमेश झा              | शाखा अधिकृत      | कानून तथा न्याय मन्त्रालय |
| ७.      | श्री अर्जुनप्रसाद सिंह    | शाखा अधिकृत      | सर्वोच्च अदालत            |

(१३)

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

|                             |             |                |
|-----------------------------|-------------|----------------|
| ८. श्री देवशरणप्रसाद        | शाखा अधिकृत | सर्वोच्च अदालत |
| ९. श्री चित्रविक्रम हमाल    | शाखा अधिकृत | सर्वोच्च अदालत |
| १०. श्री मिनबहादुर रायमाझी  | शाखा अधिकृत | सर्वोच्च अदालत |
| ११. श्री तपबहादुर मगर       | शाखा अधिकृत | सर्वोच्च अदालत |
| १२. श्री कपिलबहादुर प्रधान  | शाखा अधिकृत | सर्वोच्च अदालत |
| १३. श्री शारदाप्रसाद पण्डित | शाखा अधिकृत | सर्वोच्च अदालत |
| १४. श्री रामचन्द्र गुप्त    | शाखा अधिकृत | सर्वोच्च अदालत |
| १५. श्री नन्दकिशोर गुप्त    | शाखा अधिकृत | सर्वोच्च अदालत |
| १६. श्री बद्रीकुमार बस्नेत  | शाखा अधिकृत | सर्वोच्च अदालत |

श्री ५ को सरकारले सोही मितिका निर्णयानुसार उपरोक्त व्यक्तहरूमध्ये श्री गोविन्ददास श्रेष्ठलाई २ (दुई) ग्रेड वृद्धि र श्रीमति शारदा श्रेष्ठलाई १ (एक) ग्रेड वृद्धि शुरूमै तलबमा थप दिएको छ ।

आज्ञाले-

रमानन्दप्रसाद सिंह  
श्री ५ को सरकारको सचिव ।